



Neutral Citation No. - 2026:AHC:34981

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 2486/2026

सर्वजीत कुमार याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 18 अन्य प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता : आनंद कुमार सिंह, आर्यन सिंह

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता, फिरोज अहमद, मोहम्मद गुलाम हुसैन, कैसर कमाल अंसारी

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(1) के तहत शुरू की गई कार्यवाही, वाद संख्या 7653/2024 (T202414291007653) में प्रत्यर्थी संख्या 3/उप जिलाधिकारी, सदर गाजीपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2025 इस याचिका में चुनौतीपूर्ण है।
2. आज जब मामला सुनवाई के लिए लिया गया, तो प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई कि उक्त आदेश के विरुद्ध याची के पास उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38 की उपधारा 4 के तहत अपील दायर करने का वैधानिक वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है।
3. इस तथ्य को याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है और तर्क दिया गया कि अपील दायर करने की समय सीमा 30 दिन है, इसलिए प्रार्थना की गई है कि याची को आज से तीन सप्ताह के भीतर अपील दायर करने की अनुमति दी जाए और अपीलीय प्राधिकारी को देरी क्षमा करने का निर्देश दिया जाए।
4. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रार्थना का विरोध नहीं किया है।
5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में तथा प्रत्यर्थी संख्या 3/उप जिलाधिकारी, सदर गाजीपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2025 में हस्तक्षेप किए बिना, वर्तमान याचिका निस्तारित की जाती है। याची को इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ आज से तीन सप्ताह के भीतर विलंब क्षमा आवेदन के साथ अपील दायर करने की अनुमति दी जाती है। यदि याची ऐसा करता है, तो

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अपीलीय प्राधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह विलंब को क्षमा करें और अपील का गुणदोष के आधार पर कानून के अनुसार सख्ती से और शीघ्रता से निस्तारण करें, परंतु याची को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

17 फरवरी, 2026

सकलन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"